भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1716

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता

1716. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही वार्ताओं की नवीनतम स्थिति क्या है और इसके समापन एवं अनुसमर्थन की अपेक्षित समयसीमा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चिह्नित किए गए ऐसे प्रमुख वस्तु एवं सेवा क्षेत्र कौन से हैं जिन पर प्रस्तावित एफटीए का प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है, और निर्यात और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को होने वाले लाभ क्या है;

(ग) भारतीय उपभोक्ताओं और निर्यातकों को शुल्क उन्मूलन और बेहतर बाजार सुलभता से होने वाले अनुमानित लाभ क्या हैं, और व्यापार परिमाण और विदेशी मुद्रा आय में अपेक्षित परिवर्तन क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारत की सदस्यता वाले वर्तमान मुक्त व्यापार समझौतों के अनुमानित और वास्तविक लाभों के तुलनात्मक प्रभाव आकलन अध्ययन किए हैं या आरंभ किए हैं, और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से संबंधित प्रमुख सबक क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हितधारकों द्वारा चिह्नित की गई गैर-शुल्क बाधाओं और नियामक चुनौतियों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) संबंधी वार्ता के समापन की घोषणा की। यह समझौता दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बाद लागू होगा। 'यह प्रक्रिया दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी परामर्श से आगे बढ़ाई जाएगी।

(ख): प्रस्तावित एफटीए से यूरोपीय संघ की 97% टैरिफ लाइनों पर अधिमान्य पहुंच और भारत के 99% से अधिक निर्यात मूल्य के माध्यम से वस्त्र, परिधान, चमड़ा जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, प्लास्टिक और रबर चिकित्सा उपकरण और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि सहित प्रमुख वस्तु क्षेत्रों को लाभ मिलने की प्रत्याशा है। बेहतर टैरिफ पहुंच से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने और यूरोपीय संघ की मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के अवसर प्रदान होने की प्रत्याशा है, जिससे घरेलू विनिर्माण और रोजगार को मजबूती मिलेगी। सेवा क्षेत्र में, भारत ने आईटी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा और अन्य व्यावसायिक सेवाओं सहित 144 सेवा उपक्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित की है। भारतीय सेवा प्रदाताओं को यूरोपीय संघ के बाज़ार में स्थिर और पूर्वानुमानित व्यवस्था और पेशेवरों के लिए सुविधाजनक मोबिलिटी संबंधी प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलने की प्रत्याशा है जिससे भारत के सेवा निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी। उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी गहन सेवाओं में ईयू आयोग की क्षमता से निर्यात वृद्धि को सहयोग मिलने के साथ-साथ घरेलू सेवा संबंधी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

(ग) प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत यूरोपीय संघ की 97% टैरिफ लाइनों और भारत के निर्यात मूल्य के 99% से अधिक हिस्से पर टैरिफ में छूट और सुनिश्चित अधिमान्य बाजार पहुंच से विशेष रूप से श्रम-प्रधान और लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आधारित क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की प्रत्याशा है, इससे व्यापार की मात्रा में वृद्धि और समय के साथ विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी। भारतीय उपभोक्ताओं को भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च तकनीक और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं तक पहुंच का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे इनपुट लागत कम होगी और घरेलू उद्योग को यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता मिलेगी।

(घ) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आकलन करना एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावित एफटीए की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए सामान्यतः एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) का गठन किया जाता हैं जिसमें घरेलू उद्योग, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों पर उनके प्रभाव को शामिल किया जाता है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्ष चैम्बर्स, उद्योग संघों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों सहित हितधारकों से समय-समय पर परामर्श किया जाता है। वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अंतर्गत एफटीए निगरानी समिति रोजगार और औद्योगिक वृद्धि पर नियमित औद्योगिक फीडबैक के माध्यम से एफटीए के प्रभाव की निगरानी करती है। इससे आयात संबंधी मुद्दों जैसे नियमों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार परिपाटियों के साथ निर्यात संबंधी चुनौतियों जैसे एफटीए का कम उपयोग और गैर-व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग समीक्षा और भावी वार्ताओं हेतु मार्गदर्शन के लिए आवश्यकतानुसार एफटीए मूल्यांकन अध्ययन करता है।

(ड.) भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार को सुगम बनाने, अनावश्यक प्रतिबंधों से बचने और पारदर्शिता बढ़ाने, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से मुद्दों को समाधान करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए परामर्श एवं त्वरित अनुक्रिया तंत्र स्थापित करने संबंधी विशिष्ट प्रतिबद्धताएं निहित हैं।

*****